भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. . †3502

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948(शक) को दिया जाना है)

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

†3502. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का वर्ष-वार ब्यौरा और श्रेणियाँ क्या हैं,
(ख) माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व में देखे गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और क्या इसका मूल्यांकन किया गया है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान आयकर विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का श्रेणियों सहित वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक 'क' में है।

(ख): माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के पश्चात राज्यों को प्राप्त राजस्व में देखे गए परिवर्तनों का विवरण अनुलग्नक 'ख' में है।

(ग): पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किए गए जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति का विवरण अनुलग्नक 'ग' में है।

(घ): कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

प्रत्यक्ष कर

i. पैन (पीएएन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना और पैन-आधार को लिंक करना – निर्दिष्ट लेन-देन के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है तथा पैन और आधार को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस): यह एक विवरण है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए करदाता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें करदाताओं की आय, वित्तीय लेनदेन, कर विवरण आदि के बारे में जानकारी होती है। यह पारदर्शिता आय की कम रिपोर्टिंग या चूक को आसानी से पता लगाने योग्य बनाकर चोरी को रोकती है।

iii. नज (NUDGE) अभियान – नज (NUDGE) का अर्थ है नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल, जो आईटीआर और संबंधित अनुसूचियों को दाखिल करने के अनुपालन और सुधार पर केंद्रित है। करदाताओं को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से स्वयं सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसके लिए वे संशोधित विवरणी और अद्यतन विवरणी की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जो मूल विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख बीत जाने के बाद भी पहले घोषित न की गई आय की जानकारी देने की अनुमति देती है।

iv. नकद लेनदेन पर रोक – आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 186 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अलावा दो लाख रुपये या उससे अधिक की नकद प्राप्तियों पर रोक लगा दी गई है।

v. काला धन अधिनियम- विदेशों में जमा काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) लागू किया गया है।

vi. बेनामी कानून- बेनामी संपत्ति को जब्त करने तथा बेनामीदार और वास्तविक लाभार्थी पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से, बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 में बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा व्यापक संशोधन किया गया था।

<u>अप्रत्यक्ष कर</u>

i. विवरणी में आईटीसी डेटा के ऑटो-पॉपुलेशन को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, प्राप्तकर्ता करदाताओं को प्राप्त होने वाले चालानों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता हेतु, 2024 के अंत में जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) सुविधा शुरू की गई है। यह प्राप्तकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा सहेजे या दाखिल किए जाने पर चालानों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है। आईएमएस के कार्यान्वयन के साथ, पंजीकृत प्राप्तकर्ता अब अपने जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए चालानों का पुनः सत्यापन और मिलान कर सकते हैं, जिससे आईटीसी दावा प्रक्रिया सुव्यवस्थित और मजबूत होगी।

ii. फर्जी पंजीकरण और आईटीसी के धोखाधड़ी से पास होने के खिलाफ एक ठोस और समन्वित कार्रवाई के लिए, केंद्र और राज्य दोनों कर प्रशासनों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर दो विशेष अभियान शुरू किए गए, जो क्रमशः 16.05.2023 से 14.08.2023 और 16.08.2024 से 30.10.2024 की अवधि के लिए थे। गैर-मौजूद/फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान में कर अधिकारियों की विधिवत गठित टीमों द्वारा करदाताओं के व्यावसायिक परिसरों का भौतिक सत्यापन शामिल था। इस भौतिक सत्यापन के साथ सत्यापन के परिणाम को दर्शाने वाली आवश्यक रिपोर्ट तैयार की गई।

iii. स्वचालित चालान रिपोर्टिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) समायोजन, ई-वे बिल जनरेशन और रियल-टाइम अनुपालन सत्यापन को सक्षम करने के लिए ई-इनवॉइसिंग एकीकरण लागू किया गया है।

iv. देश भर में जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, सीजीएसटी नियमों के नियम 8(4ए) में संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि वह आवेदक जिसने आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, उसे फोटो लेने और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र पर भी जाना होगा।

v. 01.10.2022 से प्रभावी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, 01.10.2022 से जीएसटीआर-1 की क्रमिक फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रकार, जीएसटीआर-1 के साथ-साथ जीएसटीआर-3बी को भी पूरी तरह से क्रमिक कर अवधि के अनुसार कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-1 में घोषित चालान विवरण का उपयोग जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध आईटीसी को स्वतः भरने के लिए किया जाता है।

(ङ): पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयकर विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या (विवरणी दाखिलकर्ता)**
2021-22	6,96,35,446
2022-23	7,40,10,269
2023-24	8,09,03,315
2024-25	8,56,34,289
2025-26	8,66,82,347

अनुलग्नक 'क'

पिछले पाँच वर्षों के दौरान श्रेणीवार एकत्रित निवल प्रत्यक्ष कर

राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	निगम कर	गैर-निगम कर@	अन्य	शुद्ध प्रत्यक्ष कर
2021-22	7,12,037	6,96,604	3,781	14,12,422
2022-23	8,25,834	8,33,307	4,545	16,63,686
2023-24	9,11,055	10,44,726	4,385	19,60,166
2024-25	9,86,767	12,35,161	4,447	22,26,375
2025-26*	10,99,130	12,40,920	323	23,40,373

***अनंतिम आंकड़े**

@गैर निगम कर के आंकड़ों में व्यक्तियों, एचयूएफ, फर्मों, एओपी, बीओआई, स्थानीय प्राधिकरणों, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए कर शामिल हैं। इसमें सुरक्षा लेनदेन कर का संग्रहण भी शामिल है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान श्रेणीवार निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	सीमा शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	एचएस एनएस (स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर #)	कुल गैर-जीएसटी	सीजीएसटी	आईजीएसटी	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	कुल जीएसटी	कुल अप्रत्यक्ष कर [सीमा शुल्क + के.उ.शु. + सेवा कर + एच.एस.एन.ए स. + जी.एस.टी.]
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
2021-22	199,728	390,808	1012		**591,548**	591226	2119	104769	**698,114**	**1,289,662**
2022-23	213,372	319,000	431		**532,803**	718,522	4,748	125,862	**849,132**	**1,381,935**
2023-24	233,119	305,362	425		**538,906**	820,622	-4850	141,436	**957,208**	**1,496,114**
2024-25	233,201	300,253	-16		**533,439**	908,954	-32,483	150,570	**1,027,041**	**1,560,480**
2025-26 (पी)	264,394	341,851	-1,774	2,061	**606,532**	967,554	-2,536	100,318	**1,065,335**	**1,671,867**

स्रोतः प्राप्ति बजट, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.बी.आई.सी.); पीः अनंतिम, ऊपर संग्रहण धनवापसी/निपटान का निवल है।

वित्त वर्ष 2025-26 से एच.एस.एन.एस. (स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा) उपकर भी शामिल किया गया है।

अनुलग्नक -ख

राज्यों को प्राप्त राजस्व

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एसजीएसटी (सकल)	निपटान किया गया आईजीएसटी	राज्यों को क्षतिपूर्ति	कुल
2017-18	1,71,803	1,19,663	41,146	3,32,612
2018-19	2,78,817	2,39,948	69,275	5,88,040
2019-20	3,09,231	2,10,972	1,20,498	6,40,701
2020-21	2,72,828	2,17,884	2,47,196	7,37,908
2021-22	3,44,216	2,95,499	2,56,500	8,96,215
2022-23	4,10,251	3,60,496	1,49,168	9,19,915
2023-24	4,71,195	4,03,028	44,946	9,19,169
2024-25	5,16,448	4,57,406	6,988	9,80,841
2025-26	5,51,302	4,77,829	6,978	10,36,108

अनुलग्नक-ग

वर्ष के दौरान जारी किए गए जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति का विवरण (वित्तीय वर्ष-वार)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	अधिशेष उपकर का वितरण (वित्तीय वर्ष 2025-26)	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	आंध्र प्रदेश	382.0	0.0	1840.8	5838.4	6389.6	4570.3	0.0	164.3	0.0	193.0	19378.3
2	अरुणाचल प्रदेश	15.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7
3	असम	886.0	466.0	879.0	2363.6	2788.1	424.0	0.0	0.0	0.0	81.1	7887.8
4	बिहार	3041.0	2571.0	3524.8	8264.3	8760.7	183.7	398.2	104.7	0.0	121.7	26970.0
5	छत्तीसगढ़	1483.0	2261.0	3081.4	6321.2	6182.0	2438.7	587.0	127.6	0.0	118.2	22600.1
6	दिल्ली	157.0	4182.0	7436.0	11386.6	12638.6	12817.0	1137.8	363.0	0.0	204.7	50322.8
7	गोवा	252.0	476.0	818.7	1653.0	1758.1	1530.7	343.1	164.7	0.0	31.7	7028.0
8	गुजरात	3687.0	6149.0	10646.5	20556.5	21368.8	7955.4	10693.5	0.3	0.0	516.7	81573.6
9	हरियाणा	1199.0	2820.0	5453.4	9417.8	10302.5	2575.9	3504.9	1445.4	0.0	308.9	37027.8
10	हिमाचल प्रदेश	539.0	2037.0	1877.3	3480.5	3863.2	1293.3	88.0	50.9	0.0	68.7	13297.9
11	जम्मू एवं कश्मीर	1137.0	1462.0	2279.3	4443.2	4738.1	418.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14477.7
12	झारखंड	1265.0	1029.0	1531.8	3647.3	4010.0	2064.6	165.6	36.4	0.0	124.6	13874.4
13	कर्नाटक	6246.0	10754.0	14496.9	26196.3	27085.3	20288.4	1191.4	1.8	0.0	505.5	106765.6
14	केरल	1772.0	2884.0	5575.0	12487.4	12594.9	7246.0	737.9	66.9	0.0	421.6	43785.6
15	मध्य प्रदेश	2511.0	2866.0	4530.8	9835.2	10106.1	4571.8	2613.5	0.9	0.0	166.0	37201.2
16	महाराष्ट्र	1488.0	8330.0	15018.1	29400.4	31616.6	24120.8	8618.0	2504.5	0.0	1753.0	122849.4
17	मणिपुर	24.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3
18	मेघालय	124.0	73.0	101.4	283.9	304.1	0.0	33.1	5.5	0.0	19.0	944.1
19	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	12.3
20	नगालैंड	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
21	ओडिशा	2019.0	3390.0	3928.8	8183.6	8895.3	1887.0	0.0	561.7	0.0	229.8	29095.2
22	पुदुचेरी	333.0	592.0	862.3	1348.8	1425.2	722.6	19.3	3.3	0.0	7.3	5313.8
23	पंजाब	4037.0	7129.0	8804.5	18053.1	16574.8	7868.9	3670.6	404.6	0.0	25.8	66568.3
24	राजस्थान	2598.0	2176.0	4439.5	10236.8	11014.6	4259.9	1397.8	0.0	0.0	162.5	36285.2
25	सिक्किम	6.0	0.0	0.0	26.5	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9
26	तमिलनाडु	632.0	3151.0	8922.0	17382.9	14792.0	16214.8	4574.2	0.0	0.0	516.4	66185.4
27	तेलंगाना	169.0	0.0	2263.2	5483.1	6575.7	4061.5	624.8	0.0	0.0	272.8	19450.0
28	त्रिपुरा	129.0	155.0	171.0	502.5	502.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	1472.7
29	उत्तर प्रदेश	2124.0	308.0	5179.5	15331.0	16439.4	11291.0	4070.3	1.2	0.0	411.7	55156.1
30	उत्तराखंड	1283.0	2037.0	2477.4	4811.9	4808.0	2135.6	476.6	55.8	0.0	74.0	18159.3
31	पश्चिम बंगाल	1608.0	1977.0	4358.7	10207.1	10956.1	8227.8	0.0	924.2	94.3	535.5	38888.7
	कुल	41146.0	69275.0	120498.3	247196.5	256500.0	149167.8	44945.5	6987.7	94.3	6883.4	942694.5